न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

.....बनाम .....

CS No. 2023/480

आज्ञा का दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/24	पत्रावली पेश की। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी एवं उनके व [illegible] उपस्थित नहीं। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत नोटी के वास्ते जवाब 1 व 2 के दिनांक 20/11/2024 नियत है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी 1-1 व 2 अनुपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस ज्ञापन टी.आई. व पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05/10/2023 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार के दर्ज रजिस्टर के कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:50:39 IST
Reason: SelfAttested